प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 28.02.2026

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा आपराधिक षडयंत्र कर बैंक खाता से 18,94,424/- रुपये निकाल लेने की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1,95,000/- रुपये नगद व तीन लाख रुपये का 01 चेक व घटना के रुपयों से खरीदी गई 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 26.02.2026 को वादिया द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादिया के पंजाब नेशनल बैंक के खाता से 18,94,424/- रुपये धोखाधडी कर निकाल लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा 318(4)/61(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 28.02.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये उपरोक्त घटना कारित करने वाले 1. अब्दुल वाहिद पुत्र वहाव निवासी अशोक विहार टंकी के पास थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष 2. मुकेश पुत्र देवी सिंह निवासी मोहिद्दीनपुर थाना परतापुर मेरठ उम्र करीब 50 वर्ष 3. ओमप्रकाश पुत्र सोनपाल निवासी नारायण मैरिज होम के सामने डी-ब्लाक विकास कुंज उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से धोखाधडी कर वादिया के खाते से निकाले गये 1,95,000/- (एक लाख पिच्चानव्वे हजार), 01 चैक 3,00,000 (तीन लाख रुपये) पीएनबी, 03 मोबाइल फोन व 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद की गयी । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 303(2)/317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पछताछ का विवरण–

अभियुक्त अब्दुल वाहिद उपरोक्त ने बताया कि मैंने अपने साथी ओमप्रकाश व मुकेश के साथ मिलकर बैंक मैनेजर सुरेन्द्र कुमार पंजाब नेशनल बैंक बलराम नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद व आयुषी मैंनेजर पीएनबी बैंक कबूल नगर जीटी रोड शाहदरा दिल्ली के साथ मिलकर अपने आर्थिक लाभ हेतु कमलेश देवी के खाते में मैनेजर आयुषी द्वारा फर्जी नम्बर लगाकर व पीएनबी-वन एप से बैंक मैनेजर सुरेन्द्र कुमार द्वारा खाते का पिन नम्बर बनाकर तथा एक्टिवेशन कराकर आयुषी बैंक मैनेजर व सुरेन्द्र कुमार की मिलीभगत से कमलेश देवी के पीएनबी कबूल नगर शाखा शाहदरा के खाते में मेरे द्वारा खरीदे गये मोबाइल नम्बर को रजिस्टर्ड कराकर करीब 1100000 (ग्यारह लाख) रुपये से ज्यादा की रकम मुकेश के खाता पीएनबी व अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर कर निकाले गये थे। कमलेश देवी के खाते में मौजूद रकम (करीब तीस लाख रुपये) व आधार कार्ड , पैन कार्ड , हस्ताक्षर व अन्य जानकारी खाते से सम्बन्धित बैंक मैनेजर सुरेन्द्र कुमार ने मुझे दी थी। बैंक मैनेजर आयुषी से जानकारी व खाते में नया नम्बर दर्ज कराने के लिए भी सांठगांठ सुरेन्द्र कुमार के द्वारा ही करायी गयी थी मेरे द्वारा निकाली गयी रकम में से सुरेन्द्र कुमार को लगभग 8,50,000 (आठ लाख पचास हजार) रुपये / - किश्तो के रूप में अलग – अलग दिन जैसे – जैसे मेरे द्वारा कमलेश देवी के खाते से रुपये निकाले गये उन्ही रुपयों में से बैंक मैनेजर सुरेन्द्र कुमार को दिये तथा ओमप्रकाश के द्वारा भी भिजवाये गये थे। मैं आस-पडोस के व्यक्तियों व जानने वाले लोगो के खाते खुलवाने एवं लोन कराने के सिलसिले में दोनों बैंक मैनेजरों से मेरी अच्छी जान

पहचान थी मेरे द्वारा ओमप्रकाश के हाथों जो मोबाइल नम्बर कमलेश देवी के खाते में दिनांक 31.01.2026 को रजिस्टर्ड कराया गया था, को बैंक मैनेजर सुरेन्द्र कुमार के द्वारा अपने पास मंगा लिया था मेरी मुलाकात दोनो बैंक मैनेजरों से अधिकतर रास्ते में आते जाते समय होती थी जो नम्बर मैंने बैंक मैनेजरों की मदद से कमलेश देवी के खाते में कराया था तथा जिसका प्रयोग कर रुपये निकाले थे वह सिम मेरे पास से मिले मोबाइल में ही पडा है तथा मुकेश के द्वारा पूछने पर बताया कि हम लोगो के द्वारा कमलेश देवी के खाते से मेरे खाते में रुपये ट्रांसफर किये गये थे ट्रांसफर किये गये रुपयों में से करीब 4,00,000/- (चार लाख रुपये) मेरे व ओमप्रकाश द्वारा भंगेल नोएडा स्थित पीएनबी शाखा से निकालकर अब्दुल वाहिद को दिये थे तथा हमने कुछ पैसों की शोपिंग व खर्चा किया था। करीब 8,50,000/- (आठ लाख पचास हजार) रुपये बैंक मैनेजर सुरेन्द्र कुमार व आयुषी को नगद दिये थे तथा ओमप्रकाश के द्वारा बताया गया मुझे अब्दुल वाहिद ने एक मोबाइल फोन व रुपये समय-समय पर बैंक मैनेजर सुरेन्द्र कुमार को देने के लिए दिये थे जो मेरे द्वारा सुरेन्द्र कुमार को ले जाकर दे दिये थे। सुरेन्द्र कुमार के द्वारा ही कमलेश देवी के खाते का पिन बनबाया गया था। पिन कोड बनवाये जाने हेतु बैंक मैनेजर से पहले ही अब्दुल वाहिद की बात हो चुकी थी। बरामदा मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में अब्दुल वाहिद ने बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने 5-6 दिन पहले कमलेश देवी के खाते से निकाले गये नगद रुपयों से ही ली थी। तीनों से पुनः पूछने पर एक स्वर में बताया कि आज हम लोग जो रुपयें हमने कमलेश देवी के खाते से निकाले थे बचे हुये रुपयों के बटबारे के लिए इकट्ठा हुये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण नाम का नाम व पता–

1. अब्दुल वाहिद पुत्र वहाव निवासी अशोक विहार टंकी के पास थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।
2. मुकेश पुत्र देवी सिंह निवासी मोहिद्दीनपुर थाना परतापुर मेरठ उम्र करीब 50 वर्ष।
3. ओमप्रकाश पुत्र सोनपाल निवासी नारायण मैरिज होम के सामने डी-ब्लाक विकास कुंज उम्र करीब 50 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1,95,000/- (एक लाख पिच्चानव्वे हजार), 01 चैक 3,00,000 (तीन लाख रुपये) पीएनबी, 03 मोबाइल फोन व 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त वाहिद के विरुद्ध थाना ब्रह्मपुरी मेरठ में धोखाधडी का 01 अभियोग, अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध थाना खरखौदा मेरठ में डकैती का 01 अभियोग, थाना सदर बाजार मेरठ में डकैती का 01 अभियोग तथा हत्या के प्रयास का 01 अभियोग थाना खरखौदा मेरठ में पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 26.02.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त आफताब आलम द्वारा वादी के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा 308(5)/352/351(2)

बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 28.02.2026 को थाना लोनी बार्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आफताब आलम पुत्र अलाउद्दीन निवासी जीडीए फ्लैट सोसाइटी नीयर सेवाधाम चौकी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 44 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त आफताब आलम उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं पेशे से पत्रकार हूँ। पीडित से मेरे द्वारा पत्रकारिता का भय दिखाकर कुछ रुपये वसूल लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

आफताब आलम पुत्र अलाउद्दीन निवासी जीडीए फ्लैट सोसाइटी नीयर सेवाधाम चौकी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 44 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना मधुबन बापूधाम पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है ।अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा मिश्रित अवैध आतिशबाजी पटाखे के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 42 किलो विस्फोटक, 04 मशीन पटाखे बनाने वाली, 40 किलो फेवीकोल व 26 कट्टे प्लास्टिक के कट्टों में मिश्रित अवैध पटाखे बनाने का समान बरामद।

आज दिनांक 28.02.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे के बनाने वाले 02 अभियुक्तों 1. शाहनवाज पुत्र शेरदीन निवासी राशिद अली गेट प्रिंस डीलर वाली गली लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष 2. अनीस पुत्र नूरदीन निवासी 10 फुटा गली शौकीन मलिक चौक अशोक विहार लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 42 किलो विस्फोटक, 04 मशीन पटाखे बनाने वाली, 40 किलो फेवीकोल व 26 कट्टे प्लास्टिक के कट्टों में मिश्रित अवैध पटाखे बनाने का समान बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना लोनी पर धारा-125/288 बीएनएस व 9बी (1बी) विस्फोटक अधिनियम 1884 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम यह पटाखे बनाने का समान आदि फरूखनगर थाना टीला मोड से बेचने के लिये लाते हैं। हमारे पास पटाखे बेचने का कोई लाइसेंस नही है। हम शादी व पार्टीयों मे पटाखों को बेचकर आर्थिक लाभ कमाते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1.शाहनवाज पुत्र शेरदीन निवासी राशिद अली गेट प्रिंस डीलर वाली गली लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।

2. अनीस पुत्र नूरदीन निवासी 10 फुटा गली शौकीन मलिक चौक अशोक विहार लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 42 किलो विस्फोटक, 04 मशीन पटाखे बनाने वाली, 40 किलो फेवीकोल व 26 कट्टे प्लास्टिक के कट्टों में मिश्रित अवैध पटाखे बनाने का समान बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी पर उक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 80,000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 18.12.2025 को साइबर सेल थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक आबिद निवासी हापुड मोड़ गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई 100000/- रु धनराशि मे से आवेदक को 80000/-रुपये वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद को NCRP पोर्टल पर प्राप्त शिकायत स0-33112250185604 के माध्यम से आवेदक आबिद के साथ ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि के सम्बन्ध मे सम्बन्धित बैक से पत्राचार व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 24.02.2026 को आवेदक के

साथ हुई साइबर फ्रॉड की 80,000/- रुपये की धनराशि साइबर सेल टीम थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद द्वारा वापस करायी गयी । आवेदक द्वारा थाना कोतवाली नगर आकर थाना प्रभारी महोदय एवं साइबर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल टीम, थाना कोतवाली नगर ।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा बेइमानी से सम्पत्ति को प्राप्त करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 वाशिंग मशीन, 06 AC (03 इन्डोर व 03 आउट डोर), 05 LED TV, एक डिशवाशर, एक स्पीकर, एक प्रिंटर, एक मैट्रेश बरामद ।

घटना का विवरण- दिनांक 29.01.2026 को वादी श्री विजेन्द्र मणि पुत्र गरुण कुमार, निवासी ग्राम 107 शियाशंकर मिश्र का पुरवा, कुंडा, थाना कुंडा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात अभियुक्त वाहन संख्या UP 14 KT 8563 में कुल 22 शिपमेंट (सामान) लेकर डिलीवरी हेतु गया था, जिनमें से केवल 05 शिपमेंट (सामान) ही ग्राहकों को डिलीवर किए गए तथा शेष 17 शिपमेंट (सामान) लेकर चला गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नन्दग्राम में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण –उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व स्थानीय सूचना के आधार पर मुखबिर की सूचना पर ए.एल.टी. चौराहे से लगभग 100 मीटर राजनगर एक्सटेंशन की ओर जाने वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 02 वॉशिंग मशीन, 06 एसी (03 इंडोर व 03 आउटडोर), 05 एलईडी टीवी, एक डिशवाशर, एक स्पीकर, एक प्रिंटर व एक मैट्रेस बरामद किए गए। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता – रवि पुत्र राकेश कुमार, निवासी मकान संख्या 243, गली संख्या 11, अकबरपुर बहरामपुर बोध बिहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद । उम्र – 25 वर्ष।

पूछताछ का विवरण –अभियुक्त रवि पुत्र राकेश कुमार से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह AVS सप्लाई चेन कंपनी में डिलीवरी एसोसिएट के रूप में कार्य करता है। दिनांक 23.01.2026 को वह कंपनी की गाड़ी से 21 शिपमेंट (सामान) लेकर राजनगर एक्सटेंशन में डिलीवरी हेतु आया था, जिनमें से 04 शिपमेंट (सामान) उसने ग्राहकों को डिलीवर कर दिए थे। शेष 17 शिपमेंट (सामान) को वह दूसरी गाड़ी में भरकर ले गया था और उन्हें किसी को डिलीवर

नहीं किया था। वह उन सामानों को बेचने की फिराक में था। आज वह ग्राहक की तलाश में राजनगर एक्सटेंशन आया था।

बरामदगी का विवरण –

- 02 वॉशिंग मशीन
- 06 एसी (03 अदद इंडोर व 03 अदद आउटडोर)
- 05 एलईडी टीवी
- 01 डिशवॉशर
- 01 स्पीकर
- 01 प्रिंटर
- 01 मैट्रेस

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा घर में चोरी की घटना का खुलासा, 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 02 कंगन (पीली धातु) व ₹ 3,000/- नगद बरामद

दिनांक 27.02.2026 को वादी श्री मयंक सैंगर पुत्र श्री सी.पी. सिंह, निवासी एल-232, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें दिनांक 18.02.2026 को अज्ञात चोर द्वारा उनके घर में घुसकर सोने के कंगन चोरी करने के संबंध में सूचना दी गई । प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना हाजा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया ।
आज दिनांक 28.02.2026 को उक्त अभियोग में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त एवं 01 अभियुक्ता को सीएसएचपी स्कूल फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पते निम्नलिखित हैं —

अभियुक्तों का नाम व पता —

1. **तरुण** पुत्र शिवकुमार, निवासी कलछीना, अंबेडकर मूर्ति के पास, थाना भोजपुर, गाजियाबाद; हाल निवासी उमेश पार्क के पास, शिव मंदिर के निकट, मकान संख्या 264, थाना मोदीनगर, गाजियाबाद।
   उम्र – 22 वर्ष।
2. **ओमपाल सिंह** पुत्र वीरबल सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट ओरंगाबाद चांदोक, थाना जहांगीराबाद, जनपद बुलंदशहर; हाल निवासी एल-232, सेक्टर-12, प्रताप विहार, थाना विजयनगर, गाजियाबाद।
   उम्र – 36 वर्ष।
3. **तनु** पुत्री शिवकुमार, निवासी कलछीना, अंबेडकर मूर्ति के पास, थाना भोजपुर, गाजियाबाद; हाल निवासी उमेश पार्क के पास, शिव मंदिर के निकट, मकान संख्या 264, थाना मोदीनगर, गाजियाबाद।
   उम्र – 25 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण —

1. 02 कंगन (पीली धातु)
2. ₹3,000/- नगद

पूछताछ का विवरण —

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि दिनांक 18.02.2026 को एल-ब्लॉक के मकान संख्या 232 में चोरी की घटना उन्होंने ही कारित की थी। चोरी किए गए माल को बेचने के संबंध में आपस में बातचीत करने हेतु वे एकत्रित हुए थे, उन्होंने बताया कि आपसी योजना बनाकर तीनों ने मिलकर चोरी की थी ।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थाना विजयनगर पुलिस टीम।